लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ, उ0प्र0—226007
Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2022

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—ज्ञाप

प्रबन्धक/प्राचार्य,
समस्त सहयुक्त बी0एड0 महाविद्यालय,
जनपद—लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर एवं लखीमपुर खीरी।

महोदय,

कृपया राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पब्लिक नोटिस No. F.NCTE-Reg1012/11/2021-Reg.Sec-HQ, Date 03.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्पन्न हुयी बैठक दिनांक 27.04.2022 निर्णयानुसार सूचित किया गया है कि जिन संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा एन0सी0टी0ई0 की वेबसाईट पर PAR (Performance Appraisal Report) अपलोड नहीं किया गया है उन संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2022—23 के नवीन प्रवेश शून्य घोषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों—बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0एल0एड0, एम0एड0 एवं एम0पी0एड0 में विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सहयुक्तता एन0सी0टी0ई0 के अनुमोदनाधीन होती है अर्थात एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त ही इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अनुमन्य होते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैठक दिनांक 27.04.2022 के निर्णय के आलोक में लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त जिन संस्थानों द्वारा एन0सी0टी0ई0 की वेबसाईट पर PAR (Performance Appraisal Report) अपलोड नहीं किया गया है उन संस्थानों के संदर्भित पाठ्यक्रमों (बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0एल0एड0, एम0एड0 एवं एम0पी0एड0) में शैक्षिक सत्र 2022—23 के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रतिबन्धित/शून्य रहेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : AF/8822-24 दिनांक : 10/05/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर—एम, आशियान लखनऊ।
3. इंचार्ज, वेबसाईट/कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई—मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव